प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

04 अभियुक्तों को हुई तीन-तीन वर्ष कारावास व अर्थदंड की सजा

दिनांक: 12.09.2022

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री घुले सुशील चन्द्रभान द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादों में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के अनुपालन के क्रम में सतत पैरवी के फलस्वरूप प्रचलित वाद में दिनांक 12.09.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा विचारण पूर्ण कर 04 अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष कारावास एवं प्रत्येक को आठ-आठ हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना महोली से सम्बन्धित मु0अ0सं0 734/07 धारा 147/148/149/324/504 भा.द.वि बनाम 1.उमाशंकर पुत्र त्रियुगी नारायन 2.राकेश कुमार पुत्र रामकुमार 3.विनय पुत्र चन्द्र कुमार मिश्रा 4.रामस्वरूप पुत्र जटायू सर्व निवासीगण ग्राम रायपुर थाना महोली सीतापुर में थाना महोली पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मनों को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। आज दिनांक 12.09.2022 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-04/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट) सीतापुर द्वारा उपरोक्त प्रत्येक अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 147/148/149/324/504 भा.द.वि में तीन-तीन वर्ष कारावास व आठ-आठ हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

....